आयोजनागत

संख्या: 359 /I(2)/2011-04(3)/39/06

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादून: दिनांक: 15 फरवरी, 2011

विषय:– वित्तीय वर्ष 2010–11 की तीसरी एवं चौथी तिमाही में ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु धनराशि की मॉग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1960/म.प्र.(लजविप)/उजविनिलि/एडीबी/शासन, दिनांक 13.12.2010 तथा शासनादेश संख्या 1866/I(2)/2010-04(3)/39/2006, दिनांक 26.08.2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0डी0बी0 सहायतित जल विद्युत परियोजनाओं कालीगंगा–I, कालीगंगा–II, मध्यमहेश्वर, काल्दीगाड़ एवं सोबला–प्रथम के निर्माण हेतु ए0डी0बी0 से प्राप्त/प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष रू0 10,77,00,000.00 (रु0 दस करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) एवं इन योजनाओं में राज्य सरकार की अंशपूंजी हेतु रु0 09,48,00,000.000 (रु0 नौ करोड़ अडतालिस लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु0 20,25,00,000.00 (रु0 बीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को व्यय करने के लिए आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनावार फॉट निम्नानुसार है:–

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	राज्य सरकार की अंशपूंजी के रुप में स्वीकृत की जा रही धनराशि	ए0डी0बी0 से प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष ऋण के रुप में दी जा रही धनराशि	कुल अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	कालीगंगा–प्रथम	390.40	443.60	834.00
2	कालीगंगा–द्वितीय	267.80	304.20	572.00
3	मध्यमहेश्वर	138.60	157.40	296.00
4	काल्दीगाड़	59.90	68.10	128.00
5	सोबला प्रथम	91.30	103.70	195.00
	कुल योग	**948.00**	**1077.00**	**2025.00**

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी भी स्थिति में अन्यत्र विचलन न किया जाय। स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय, साथ ही स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष यदि किसी कारण से कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 30.03.2011 तक शासन को समर्पित की जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि का उपभोग दिनांक 30.03.2011 तक कर इसके प्रतिपूर्ति दावे तत्काल ए0डी0बी0 को प्रस्तुत कर दिये जायें तथा ए0डी0बी0 से धनराशि की प्रतिपूर्ति कराये जाने की प्रभावी कार्यवाही की जाय। धनराशि का योजनावार उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय। ए0डी0बी0 से प्राप्त ऋण की किश्तों का आहरण निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समय से करा लिया जाय तथा योजनाओं का कियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जाय।

.....2

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

8– योजनाओं हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि व वर्तमान में आवंटित की जा रही धनराशि योजना हेतु कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही रहेगी।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष शीघ्र ही ए0डी0बी0 से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली जाय।

10– ऋण अंश के अन्तर्गत पूर्व में तथा वर्तमान आदेश से अवमुक्त की गई/की जा रही धनराशि के सापेक्ष मूलधन एवं ब्याज की वापसी इस सबध में भारत सरकार द्वारा सूचित/परियोजना हेतु निधारित दरों एवं समय सारिणी के अनुसार की जायेगी ।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक **'क'** में उल्लिखित संगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 887/XXVII(2)/2011, दिनांक 13,फरवरी, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्याः 359 /I(2)/2011-04(3)/39/06, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट निदेशालय।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10– विशेष सैल, ऊर्जा।
11– चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0)।
12– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक– यथोक्त।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः 359 /I(2)/2011-04(3)/39/06, दिनांक 15 फरवरी,2011का संलग्नक 'क'।

(धनराशि लाख रुपये में)

क0सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	धनराशि
1	21	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत 190– सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश 97–बाह्य सहायतित योजना–01–ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु–30–निवेश/ऋण।	रु0 948.00
2	21	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत 190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश 97–बाह्य सहायतित योजना–01–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बाह्य सहायता (ए0डी0बी0)–30–निवेश/ऋण।	रु0 71.10
3	30	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत 190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश 97–बाह्य सहायतित योजना–01–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बाह्य सहायता (ए0डी0बी0)–30–निवेश/ऋण।	रु0 862.20
4	31	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत 190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश 97–बाह्य सहायतित योजना–01–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बाह्य सहायता (ए0डी0बी0 से प्राप्त)–30–निवेश/ऋण।	रु0 143.70
कुल धनराशि			रु0 2025.00

(रु0 बीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव